

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-02/2023

अंतिम परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय विज्ञापन संख्या-02/2023 के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दिनांक 08.08.2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षामें चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 21.09.2025 एवं 22.09.2025 को शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था। शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार से अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है:-

कोटि-अनारक्षित

70709361, 70100149, 70101062, 71513324, 71111605, 71513671, 70708749, 70100607, 71614458, 70204114, 71513281, 71513473, 70100196, 71614598, 71614842, 70203936, 70203517, 70406009, 71614607, 70101631, 71513649, 70102545, 71513645, 70100229, 70101098, 70607744, 70100418, 70100018, 70709009, 70101078, 71514377, 70100069

कोटि-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

70100001, 70100218, 70100563, 71513255, 70809426, 71513776, 70100051, 70102497

कोटि-अनुसूचित जाति

70304701, 70406174, 71011065, 70608377, 70304713, 70202829, 70100188, 70100653, 70100109, 71614583, 71514270, 71614801, 71614520

कोटि-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

71514015, 71513416, 70102182, 70203056, 71513989, 70305031, 71514357, 70304736, 70100191, 70507527, 70100395, 70100011, 70100347, 71715122, 70100282

कोटि-पिछड़ा वर्ग

70405937, 71513389, 70100495, 70100115, 70100148, 71513651, 70304804, 70101440, 71513804

कोटि-पिछड़े वर्ग की महिला

71513263, 71513273

नोट:-

- (i) लिपिकीय/टंकण भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है।
- (ii) अनुसूचित जाति कोटि अंतर्गत अनुमान्य 01 पद पर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा में सफल नहीं होने के कारण यह पद रिक्त रह गया है।
- (iii) बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य दो पद के आलोक में 20 अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा में किया गया था। इन सफल अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा में सफल नहीं हो सके।



- (iv) ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षाफल तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (v) आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का कट ऑफ अंक तथा जन्म तिथि इस प्रकार से है:-

क्रम सं.	कोटि	अंक	जन्म तिथि
1.	अनारक्षित	100	31/08/2005
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	80	26/02/2005
3.	अनुसूचित जाति	40	11/03/2001
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	80	21/05/2004
5.	पिछड़ा वर्ग	80	02/05/2005
6.	पिछड़े वर्ग की महिला	60	05/08/2002

टिप्पणी:-समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा गया है।

उक्त सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 26.09.2025 को 10:00 बजे पूर्वा० से बिहार विधान सभा के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा।

अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे:-

- ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
- प्रवेश पत्र (Admit Card)
- दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
- इंटरमिडिएट/समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए:-
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जातिप्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
 - पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)

(a) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

(b) आय प्रमाण पत्र

(c) परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र {सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र}

7. विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण-पत्र (यदि हो)।

8. प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।

9. अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जाँच में स्वयं उपस्थित नहीं होने अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।

Khyat SIV
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
24/09/21